न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. राहुल अग्रवाल पुत्र गंगाविशन जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- 26, रामबास, पाली, जिला- पाली (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर)

फर्म:- मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26, रामवास, पाली, जिला- पाली

2. गायत्री अग्रवाल पत्नि गंगाविशन जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी-26 रामबास, पाली, जिला- पाली (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर)

फर्म:- मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26, रामवास, पाली, जिला- पाली

3. राजेन्द्र कुमार सिंघी, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- एम कमल ट्रेडर्स, 61, जर्दा बाजार, पाली, जिला- पाली

4. नन्द लाल भाटी, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- विनायक इन्टरनेशनल, U-7 मंडोर मंडी, मंडोर रोड, जोधपुर-342007

5. शिव कुमार शाक्य (खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी)

फर्म:- अडानी विलमार लिमिटेड, गांव-भटखेडा, महू, नीमच रोड, नीमच - 458441

6. अडानी विलमार लिमिटेड, गांव-भटखेडा, महू, नीमच रोड, नीमच - 458441

प्रकरण संख्या: 29/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति: अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 29 जुलाई, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 25.1.2019 को 11.30 ए.एम. पर फर्म मेघा फूड प्रोडक्टस, 26 रामबास, पाली, जिला- पाली, हाल मालियों का नोहरा, भाटकडा, सिरोही पर पँहुचा। वहां पर उपस्थित व्यक्ति को परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति राहुल अग्रवाल पुत्र गंगाविशन जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- 26 रामबास, पाली है एवं फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26 रामवास, पाली, हाल- मालियों का नोहरा, भाटकडा, सिरोही पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से मौजूद है जो गणतंत्र दिवस 26.1.2019 के उपलब्ध में स्कूली छात्रों को वितरित किये जाने वाले मिष्ठान (लडडू) बना रहा था। फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स को गणतंत्र दिवस 26.1.2019 पर [illegible] को वितरण हेतु मिष्ठान लड्डू बनाने की निविदा फर्म मेघा [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा

.....पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मिष्ठान लड्डू तैयार करने में उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं मिष्ठान तैयार करने हेतु मौजूद सुपर फाईन बेसन के 10X20 पैक्ड बैग में से एक बैग को खोलकर उसे अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये गये सुपर फाईन बेसन में से 2 किलोग्राम सुपर फाईन बेसन को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं सुपर फाईन बेसन की कीमत राशि रुपये 124/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ, सूखे एवं खाली प्लास्टिक के जार दिखाये एवं खरीदशुदा सुपर फाईन बेसन को चारों खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक जार को ढक्कन से एयरटाईट बंदर किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-885, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-885 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अग्रवाल व गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.1.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधुपर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 25.1.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा [illegible] अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन की जांच रिपोर्ट [illegible] जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:02 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

कारोबारकर्ता राहुल अग्रवाल से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन का नमूना S-885 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी 1 व 2 क्रमशः राहुल अग्रवाल एवं गायत्री अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया एवं प्रतिवादी संख्या- 3 (राजेन्द्र कुमार सिंघी) की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया एवं प्रतिवादी संख्या- 3 के अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार ने प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में पैरवी हेतु कोई हिदायत नही होना व्यक्त किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नही हुआ। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 26.7.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। जबकि बहस हेतु नियत तिथि 26.7.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के अधिवक्ता ने बहस करने हेतु समय चाहा। चूंकि इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को बहस करने हेतु इस न्यायालय द्वारा पूर्व में कई बार समय दिया गया एवं सुनवाई तिथि 06.7.2022 को पुनः बहस हेतु अवसर चाहने पर बहस हेतु समय दिया गया, उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के अधिवक्ता ने प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 26.7.2022 को बहस नही की। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को बहस हेतु समय दिया जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के अधिवक्ता द्वारा नियत तिथि 26.7.2022 को बहस नही करने के कारण इस प्रकरण को न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

(4) हमनें न्याय निर्णयन आवेदन एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन [illegible] स्पष्ट है कि दिनांक 25.1.2019 को 11.30 ए.एम. पर आवेदक [illegible] सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:02 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26, रामवास, पाली, जिला- पाली, हाल- मालियों का नोहरा, भाटकडा, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से राहुल अग्रवाल पुत्र गंगाविशन जीह अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- 26 रामबास, पाली, जिला- पाली उपस्थित मिले, जो गणतंत्र दिवस 2019 पर स्कूली छात्रों को वितरित किये जाने वाले मिष्ठान लड्डू का निर्माण करवा रहा है। फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26 रामवास, पाली को गणतंत्र दिवस 2019 पर स्कूली छात्रों के लिये मिष्ठान लड्डू बनाने की निविदा दी हुई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मिष्ठान लड्डू तैयार करने में उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री नरपतसिंह पुत्र श्री राधाकिशन सिंह, ग्राम साथिन भाटियों का वास, तहसील- पीपाड सिटी, जिला- जोधपुर तथा श्री नकुल चौहान, वरिष्ठ सहायक, जिला रसद कार्यालय, सिरोही के समक्ष फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26 रामवास, पाली के मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अग्रवाल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह के समक्ष निर्माण इकाई पर फर्श पर मौजूद खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के 10 सील्ड पैक्ड बैग (प्रत्येक 20 किलोग्राम) में से एक सील्ड पैक बेग को खोलकर उसमें मौजूद सुपर फाईन बेसन को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये हुये खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन में से 2 किलोग्राम सुपर फाईन बेसन को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं खरीदशुदा सुपर फाईन बेसन की कीमत राशि रुपये 124/- (अक्षरे रुपये एक सौ चौबीस मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर राहुल अग्रवाल को अदा कर कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह एवं खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अग्रवाल को चार साफ, सूखे एवं खाली प्लसाटिक के जार दिखाकर खरीदशुदा सुपर फाईन बेसन को चारों जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना जार को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-885, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अग्रवाल व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-885 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य [illegible] हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्प[illegible] चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने [illegible] पर मौका फर्द तैयार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:02 IST
Reason: SelfAttested

....पेज पांच पर

सिरोही (राज०)
सिरोही-307001

गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मैनेजर राहुल अग्रवाल व उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, लेवल की प्रति एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26 रामबास, पाली, हाल- मालियों का नोहरा, भाटकडा, सिरोही, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर राहुल अग्रवाल से खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.1.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 25.1.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के नमूना संख्या S-885 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./54/Act/2019/104 दिनांक 06.2.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26 रामबास, पाली, जिला- पाली, हाल- मालियों का नोहरा, भाटकडा, सिरोही, जिला- सिरोही में मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अग्रवाल से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन का नमूना S-885 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के पैकिंग लेबल पर बैच नम्बर व निर्माण/पैकिंग तिथि, Symbol for Veg./Non Veg अंकित नही थी, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(4), 2.2.2(8) व 2.2.2(9) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्[illegible] है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, [illegible] पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/1795-98 दिनांक 20.2.2019 से खाद्य विश्लेषक [illegible] जांच रिपोर्ट की प्रति

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:02 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

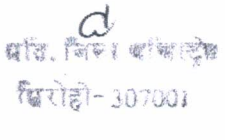

प्रतिवादी राहुल अग्रवाल व निर्माता फर्म अडानी विलिमार लिमिटेड को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26 रामबास, पाली द्वारा खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के सील्ड पैकड बैगों को फर्म एम कमल ट्रेडर्स, 61, जर्दा बाजार, पाली, जिला- पाली से क्रय किये गये थे, जो प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार सिंघी की फर्म है। प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार सिंघाी की फर्म एम कमल ट्रेडर्स, 61, जर्दा बाजार, पाली द्वारा खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के सील्ड पैक्ड बैगों को फर्म विनायक इन्टरनेशनल, यू-7 मंडोर मंडी, मंडोर रोड, जोधपुर से क्रय किये गये थे, जो प्रतिवादी नन्दलाल भाटी की फर्म है तथा प्रतिवादी नन्दलाल भाटी की फर्म विनायक इन्टरनेशल, यू-7, मंडोर मंडी, जोधपुर द्वारा खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के सील्ड पैक्ड बैगों को फर्म अडानी विलमार लिमिटेड, गांव- भटखेडा, महू, नीमच रोड, नीमच से क्रय किये गये थे, जो खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के विक्रय हेतु प्रतिवादी गायत्री अग्रवाल पुत्र गंगाविशन जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- 26 रामबास, पाली, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मेघा फूड प्रोडक्टस्, 26 रामबास, पाली, जिला- पाली पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की व प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार सिंघी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, एम कमल ट्रेडर्स, 61, जर्दा बाजार, पाली, जिला- पाली पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी नन्दलाल भाटी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विनायक इन्टरनेशनल, यू-7 मंडोर मंडी, मंडोर रोड, जोधपुर-342007 पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सुपर फाईन बेसन के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म अडानी विलमार लिमिटेड, गांव- भटखेडा, महू, नीमच रोड, नीचम-458441 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 तथा प्रतिवादी निर्माता फर्म अडानी विलमार लिमिटेड के नॉमिनी शिव कुमार शाक्य को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft [illegible] प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जि[illegible] सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:02 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
[illegible]
सिरोही–3070[illegible]